

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1221 / 2014 / चित्तोडगढ़

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, चित्तोडगढ़।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मै0 जय डिजल्स,
रेल्वे स्टेशन, चित्तोडगढ़।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा
उपराजकीय अभिभाषक।
श्री अभिषेक अजमेरा
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

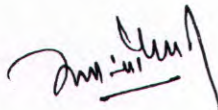
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 16.03.2018

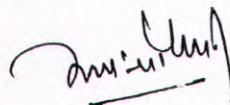
निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 02/वैट/13-14/चित्तोडगढ़ में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 82 के तहत पारित आदेश दिनांक 06.01.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि 2010-11 (01.04.2010 से 31.03.2011) के त्रैमासिक विवरण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के समक्ष प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत कर निर्धारण करते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी को मासिक कर दाता मानते तथा बिक्री विवरण प्रपत्र 10ए समय से प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 01.02.2013 को अधिनियम की धारा 58(1) के तहत रू0 116500/- की शास्ति का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.01.2014 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 01.02.2013 को अपास्त करते हुए अधिनियम की धारा 58(2) के तहत आदेश पुनः पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश दिनांक 06.01.2014 से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

लगातार.....2.

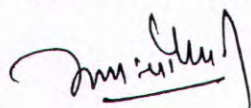


4. बहस के दौरान विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की पिछले वर्ष की कर देयता 20000/- से कम होनी चाहिये थी, जो की नहीं पाई गई। चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी मासिक कर देयता की श्रेणी में आता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रपत्र 10 ए देरी से प्रस्तुत करने पर अधिनियम की धारा 58(1) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया, जो की विधिक दृष्टि से उचित था अपीलीय अधिकारी द्वारा इस करारोपण आदेश को अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गई है। अपने इस कथन के साथ विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, अपीलीय आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।
5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा विधि अनुकूल आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाये।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. विभाग द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का विभाग में पंजियन दिनांक 01.04.2010 को किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वार्षिक विवरण प्रपत्र 10ए (वर्ष 2010-11) त्रैमासिक जमा करवाये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह प्रत्यर्थी व्यवहारी मासिक करदायित्व मानते हुए प्रपत्र 10ए देरी से पेश करने पर अधिनियम की धारा 58(1) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया।
8. अपीलीय अधिकारी ने आलौच्य आदेश दिनांक 06.01.2014 द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 31.03.2006 के क्रम में प्रत्यर्थी व्यवहारी का त्रैमासिक कर दायित्व मानते हुए धारा 58(1) के अधीन आरोपित शास्ति को अपास्त कर धारा 58(2) के तहत शास्ति आरोपित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया।
9. अधिसूचना क्रमांक 3011 [F.16(375)Tax/VAT/CCT/06-1614] दिनांक 20.01.2013 के अनुसार आलौच्य अवधि 2010-11 के वार्षिक विवरण प्रपत्र 10A को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.05.2012 तक बढ़ाई गयी थी। जबकि अधिसूचना दिनांक F16(375)Tax/CCT/2006-543,dt. 02-04-2012 द्वारा त्रैमासीक विवरण प्रपत्र VAT-10 प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.04.2012 तक बढ़ायी गयी है। विवरण प्रपत्र VAT-10, 245 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना अभिनिर्धारित किया गया।
10. अधिनियम की धारा 58 **Penalty for failure to furnish return** से संबंधित थी जिसे Rajasthan Finance Act 2011 द्वारा Delete किया गया तथा विलम्ब शुल्क लगातार.....3.



(Late Fee) से संबंधित प्रावधान नियम 19A (RVAT Amendment) 2011 से जोड़ा गया, जो दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी था। इस प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2010-11 की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 21 में संशोधन व नियम 19ए जोड़े (insertion) जाने के पश्चात् की अवधि के लिए विवरण प्रपत्रों की देरी के संबंध में विलम्ब शुल्क के प्रावधान लागू होंगे।

11. यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक एवं सुसंगत है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2011 द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 को 15.04.2011 से विलोपित कर दिया गया है। जैसाकि ऊपर विवेचन किया जा चुका है कि आलौच्य अवधि 2010-11 के विवरण प्रपत्र VAT-10A प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31.05.2012 तथा विवरण प्रपत्र VAT-10 प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.04.2012 थी। इस प्रकार विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को धारा 58 प्रवर्तन में नहीं थी। अतः जब आलौच्य अवधि 2010-11 के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को धारा 58 के प्रावधान अस्तित्व में ही नहीं थे तब धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58(1) के तहत शास्ति का आरोपित किये जाने में तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा 58(1) की शास्ति की आपास्त कर उसके स्थान पर 58(2) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में का आदेश विधिसम्मत नहीं है। राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 2445 एवं 2446/2012/जोधपुर मै0 हंगर-उस, रातानाडा, जोधपुर बनाम उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर निर्णय दिनांक 01.04.2016 से वर्तमान प्रकरण के तथ्य समानता रखते हैं जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि कर निर्धारण आदेश की दिनांक को धारा 58 अस्तित्व में नहीं होने के कारण इसके तहत शास्ति का आरोपण विधि विरुद्ध है। जैसाकि पूर्व में वर्तमान प्रकरण के संबंध में यह स्पष्ट विवेचन किया जा चुका है कि विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को धारा 58 अस्तित्व में नहीं थी। इस लिये धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण विधि सम्मत नहीं है।
12. आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 त्रैमासिक विवरण प्रपत्र VAT-10 को विलम्ब से प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी व्यवहारी को नियम 19A की के अधीन विलम्ब शुल्क का भुगतान करना था। यह विलम्ब शुल्क विहित समयावधि के पश्चात् विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने या कर निर्धारण तक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने का पारिणामिक (Consequential) प्रभाव का परिणाम है। विलम्ब शुल्क स्वमेव पारिणामिक दायित्व है, जिसकी गणना उसके कर जमा कराने की श्रेणी के आधार पर की जायेगी। अतः व्यवहारी के विरुद्ध नियम 19A के तत्समय प्रभावी प्रावधान के अनुसार विलम्ब



लगातार.....4.

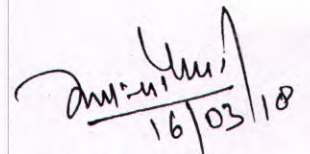
शुल्क आरोपित किया जाना न्यायसंगत है। आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के वार्षिक विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर विलम्ब शुल्क के लिये नियम 19A के संशोधित प्रावधान निम्न प्रकार है:-

01-04-2012 to 31-03-2013 (sub. by the Rajasthan Value Added Tax (Second Amendment Rule) Rules 2012 (S.No. 2905 dated 30-03-2012)W.e.f. 01-04-2012

"19A Late Fee :- Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of - (i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees fifty thousand in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and (ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases."

चूंकि व्यवहारी मासिक करदाता नहीं है अतः नियम 19A के उक्त प्रावधान के अनुसार व्यवहारी के विरुद्ध 50/- रुपये प्रतिदिन जो अधिकतम 5000/- रुपये (पांच हजार रुपये) तक विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा सकता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा नियम 19A के तहत व्यवहारी के विरुद्ध विवरण प्रपत्र VAT-10 को 245 दिन विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये विलम्ब शुल्क 5000/- रुपये आरोपित किया जाना विधि सम्मत है।

13. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा निर्णय के पैरा संख्या 12 में वर्णितानुसार नियम 19A के तहत व्यवहारी के विरुद्ध 5,000/-रुपये विलम्ब शुल्क का आरोपित किया जाता है।
14. निर्णय सुनाया गया।


16/03/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य